

**कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)**

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक. 06/07/2023

// आदेश //

क्रमांक 460/179/आ.उ.शि./अराज.स्था./23 :: शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1 को छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका/हॉस्टल मैनेजर के पद पर वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु 2800/- (लेवल मेट्रिक्स-7) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
1	श्री आर.पी. तिवारी	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर नगर
2	श्री आई.आर. सांकरे	शासकीय महाविद्यालय अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा	शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, सुकमा
3	श्री रामस्वरूप कौशिक	शासकीय जे.पी. वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर	शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, बीजापुर
4	श्री बी.आर. शर्मा	शासकीय महाविद्यालय हसौद, जिला-जांजगीर चांपा	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, (बंजारी) कोरबा
5	श्री अशोक कुमार शर्मा	शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर,	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय अटारी, जिला रायपुर
6	श्री जे.पी. साहू	शासकीय नवीन महाविद्यालय पिपरिया, जिला-कबीरघाम	शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, कोण्डागांव
7	श्री. एस. एन. शर्मा	शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती	शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, नारायणपुर
8	श्री पी.एल. अनंत	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जोबी, जिला- रायगढ़	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, कांकर,
9	श्री धनेश्वर लहरी	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर	शासकीय आदर्श महाविद्यालय (लोहारकोट) महासमुंद
10	श्री जयराम प्रसाद तिवारी	शास. नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार, जिला-दुर्ग	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, धरमपुरा, जगदलपुर


6/7

कमश.2

1. पदोन्नति कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-20-3/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 के साथ संलग्न प्राप्त माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WP(PIL) No. 91/2019, Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh & another, WP(S) No. 9778/2019, Vishnu Prashanna Tiwari Vs State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा।
2. यदि कोई पदोन्नत कर्मचारी पदोन्नति से इंकार करना चाहता है तो वह 10 दिवस के भीतर संबंधित प्राचार्य को लिखित में अवगत कराएगा। पदोन्नति अस्वीकार करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों को संबंधित प्राचार्यों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में भारमुक्त करने की कार्यवाही की जाए।
3. पदोन्नत कर्मचारी नवीन पदस्थापना हेतु 10 दिवस में कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण का पालन प्रतिवेदन प्राचार्य के माध्यम से इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।



(शारदा वर्मा)


आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./461/179/आ.उ.शि./अराज.स्था./23 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक. 06/07/2023
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. महालेखाकार, रायपुर (छ.ग.)
4. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
5. आयुक्त उच्च शिक्षा के शीघ्रलेखक उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित प्राचार्य, महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने की सूचना इस कार्यालय को भेजी जावे।
7. संबंधित प्राचार्य, महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ संबंधित कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को भेजी जावे।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
9. संबंधित कर्मचारी

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)